कार्यालय :– नगर पंचायत, लातेहार

झारखण्ड सरकार

बन्दोबस्ती आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, लातेहार क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित सैरातों की बन्दोबस्ती **वर्ष 2017–2018 (01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक)** के लिये खुली डाक बोली द्वारा दिनांक– **16.03.2017** को 2:00 बजे पूर्वाह्न अध्यक्ष, नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय प्रकोष्ट में की जायेगी। उस दिन बन्दोबस्ती नही होने की स्थिति में दिनांक **17.03.17** एवं दिनांक– **18.03.17** को 11:00 बजे पूर्वाह्न खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जायेगी।

क्र० सं०	सैरात का नाम	पूर्व की बंदोबस्ती राशि	वर्ष 2017–2018 की न्यूनतम डाक की राशि	जमानत की राशि सुरक्षित जमा राशि का 10%
01	कानी हाउस, लातेहार	**5700.00**	**6270.00**	**650.00**
02	मुख्य सब्जी बाजार, धर्मपुर	**1,83,645.00**	**2,02,100.00**	**20250.00**
03	नगर पंचायत, लातेहार अन्तर्गत चलने वाले रिक्सा, साईकिल एवं ठेला पर कर निर्धारण (टोकन लगाने) हेतु डांक।	**5900.00**	**6500.00**	**650.00**
04	कन्या मध्य विद्यालय, लातेहार के चाहर दिवारी के बगल में चयनित दो पहीया एवं चार पहीया पार्किंग स्थल हेतु डांक।	**35,805.00**	**39,400.00**	**3950.00**

डाक की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार है :–

1. डांक समाप्ति के पश्चात् सर्वोच्च डाक बोलने वाले व्यक्ति को तत्काल डाक की पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक जो **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार** के नाम से देय हो डाक के उपरान्त 3 दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। डांक की राशि जमा करने के उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
2. वे व्यक्ति डाक में भाग नही ले सकते हैं जिनके पास नगर पंचायत, लातेहार का किसी प्रकार का बकाया हो।
3. डांक बोलने से पूर्व जमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के द्वारा जो **कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार** के नाम से देय हो जमा करना अनिर्वाय होगा, तदोपरांत ही डाक में भाग लेने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम बोली बोलने वाले के अतिरिक्त अन्य की जमानत राशि यथाशीध्र वापस कर दी जायेगी।
4. डांक में भाग लेने वाले व्यक्ति को अंचल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साईज का दो फोटो जमा करना अनिर्वाय होगा।
5. नगर पंचायत द्वारा निर्धारित सुरक्षित जमा राशि से कम बोली बोलने वाले की डांक रद्द या स्थगित करने का अधिकार **नगर पंचायत, लातेहार** को सुरक्षित रहेगा तथा किसी भी परिस्थिति में पूर्व वर्ष 2016–2017 की डांक की राशि से कम में डाक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. उपरोक्त सैरातों से संबंधित विशेष जानकारी **नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में कार्य दिवस अवधी** में प्राप्त किया जा सकता है।
7. उपरोक्त सैरात में भाग लेने वाले आवेदकों को संबंधित सैरात हेतु **500 रूपये** समिति कार्यालय में नगद जमा कर संबंधित सैरात का आवेदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तदोपरांत ही उपरोक्त सैरात में भाग लेने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। जिसे नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में कार्यदिवस अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

नोट 1 छदम नाम से डाक बोलने वाले तथा भ्रम, अशान्ति पैदा करने वाले पर कड़ी कानूनी कारवाई की जायेगी।

2 कार्यालय अवधि में कार्यालय सूचना पट्ट/कार्यालय से सम्पर्क कर इस कार्य हेतु लागु किये गये नियम एवं शर्तों को देखा जा सकता है या लातेहार जिला के वेवसाईड **www.latehar.nic.in** पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।

1/3/17

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।

1/3/17